तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/7/20	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण को सम्मन मूल वादपत्र के जरिये रजिस्टर्ड ए डी के प्रेषित किए जिनकी रसीदे मूल वादपत्र में पेश की अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुए। न्यायालय समय में बार बार अप्रार्थीगण को आवाजे लगाई गई कोई उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैत्रक भूमि है जो पूर्व में प्रार्थीगण के पिता गोपाल उर्फ गोपालभाई के नाम की थी जिनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि अप्रार्थीगण सख्या 01 से 03 के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि प्रार्थीगण स्व श्री गोपाल उर्फ गोपालभाई के वंशज होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है । तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारो से महरूम करने के आशय से खुर्द बुर्द करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आमदा है। तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई खण्ड अप्रार्थीगण की ओर स नही किया गया हैं इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराज खसरा सख्या 254 रकबा 20 बीघा 07 बिश्वा के 1/4 हिस्से तथा खसरा सख्या 381 रकबा 06 बीघा 11 बिश्वा, खसरा सख्या 393 रकबा 01 बीघा 09 बिश्वा, ग्राम चान्दरख व नारीनाडी के खसरा सख्या 404 रकबा 13 बीघा 01 बिश्वा भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण के पिता श्री गोपाल के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि स्व श्री गोपाल के वारिसानो में निहित नही हुई है इसलिए प्रार्थीगण की ओर से घोषणा का वादपत्र पेश किया गया है। चूँकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने हेतु आमदा है। इसलिए वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। **आदेश** अत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम चान्दरख के खसरा सख्या 254, 381, 393, व राजस्व ग्राम नारीनाडी के खसरा सख्या 404 की ताफैसला दावा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उक्त खसरान की भूमि को न तो गिरवी रखे तथा न ही हस्तान्तरण आदि ही करे तथा न ही निर्माण कार्य आदि ही करे। (रतनलाल रेगर) आर.ए.एस सहायक कलेक्टर ओसियाँ आदेश आज दिनॉक 28.07.2020 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सरेईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (रतनलाल रेगर) सहायक कलेक्टर ओसियाँ आर.ए.एस	